(417) (293)

निग-4540/2018/सीधी/भू.रा.सं.

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म.प्र.राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

संतोष कुमार मिश्र पिता श्री रामभिलाष मिश्र निवासी ग्राम लौआ, तहसील बहरी, थाना बहरी जिला सीधी म0प्र0.....................आवेदक

अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी द्वारा पेश। 18-7-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1. महेश प्रसाद मिश्र पिता अबधेश राम मिश्र
2. अबधेश राम पिता नर्वदा राम
   उपरोक्त दोनो निवासी ग्राम कुकरांव ब्राम्हण टोला, तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0
3. शासन म0प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी बिरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0के प्रकरण कमांक 31अ74/17-18 मे पारित आदेश दिनांक 23.2.2018 के बिरूद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 के अधील निगरानी .

महोदय

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि , अधीनस्थ न्यायालय का अलोच्य आदेश बिधि एवं प्रकिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि स्पस्ट किया जाता है कि भूमि नम्वर 90 रकवा 0.026हे0 मौजा कुकरांव ब्राम्हण टोला हल्का कुनझुन कला तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0मे स्थित भूमि है जो भूमि राजस्व अभिलेखो मे म0प्र0शासन दर्ज है लेकिन उक्त भूमि गे आज सें 40 वर्ष पूर्व से आवेदक के पूर्वजो के अनुकम मे आवेदक का कब्जा दखल चला आ रहा है तथा उसी भूमि मे आवेदक के 3 रहायसी मकान बने हुये है जहां आवेदक अपने परिवार के साथ निवास करते चले आ रहे है तथा शेष भूमियां आवेदक के आम निश्तार व काश्तकारी मे है। लेकिन

आवेदक/अभि. द्वारा प्रस्तुत 18/7/18

संन्तोष कुमार मिश्र

(293)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 4540 - सीधी / 18 जिला सीधी

संतोष कुमार मिश्रा विरूद्ध महेश प्रसाद मिश्रा व अन्य

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील बहरी (सीधी) के प्रकरण क्रमांक 31/अ-74/17-18 में पारित आदेश दिनांक 23-2-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5-3-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	